न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 11/2024

श्री जाकिर पुत्र अब्दुल हफीज निवासी हाजी कॉलानी बम्बोर रोड अन्नपूर्णा टोंक
---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक वगै.
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 01.05.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक व लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार उनियारा जिला टाक का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

कारीगरों की गली मेहन्दी बाग टोंक वार्ड नंबर 7 और नया वार्ड नबर 13 मे किन-किन व्यक्तियों को वर्ष 2013 से 2023 तक प्रतिवर्ष obc (अन्य पिछडी जाति नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र जारी किए गये प्रतिवर्ष की प्रनाणित सूचि उपलब्ध करार जिसमे प्रार्थिया का नाम, पिता का नाम और पता अकित हो ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को पत्र कमांक 316-17 दिनांक 18.03.2024, 375-76 दिनाक 28.03.2024 व 398-99 दिनाक 16.04.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी का सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक एंव लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक एंव लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क [illegible] निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक एंव लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक